

1440mPE  
18.3.23

06.2.23 नोटिश का तामिला अप्राप्त है।

03.3.23

03.3.23 नोटिश का तामिला अप्राप्त है।  
उभय पक्ष - ककालतन हाजरी है।

10.3.23 नोटिश का तामिला अप्राप्त है।

10.3.23

17.3.23 नोटिश का तामिला अप्राप्त है।

17.3.23

18.3.23 नोटिश का तामिला अप्राप्त है।

18.3.23

अभिलेख उपस्थापित।

थाना से नोटिश का तामिला अप्राप्त एवं उभय पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतिर होता है कि रूपल में विधि-व्यवस्था एवं मोति-व्यवस्था भंग होने की संभावना नगण्य प्रतिर होता है।

कालवाधित होने पर वाफ की कार्यवाही को समाप्त कर अभिलेख को बन्द किया जाता है।

लेखापित्त।

अ.कुं  
18/03/23

अ.कुं २०५०

गिरिरीह।

अ.कुं  
18/03/23

अ.कुं २०५०

गिरिरीह।